क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	नि
	13/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण की तामील साधारण डाक से होकर संलग्न है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं। अतः तामील सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ~~करकी~~ की जाती है। बहस वकील प्रार्थी की सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हम पाते है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसका उपयोग-उपभोग प्रार्थी द्वारा काश्तकारी कार्यों हेतु किया जा रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दिखाई देता है। अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर प्रा. पत्र के मद सं. (2) में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी की कृषि पर उभयपक्षों को तारीख फैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से [illegible] हो। [illegible] तहसीलदार ([illegible])	